न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 80 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री गणपतदास पुत्र खाखीदास जाति साद निवासी ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री पारस चौहान अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

:: आदेश :: **दिनांकः–** 11/11/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान का मूल निवासी है। प्रार्थी का नाम गणपतदास है प्रार्थी का आधार कार्ड सं. 9472 6627 6781 बना हुआ है। जिसमें प्रार्थी का नाम गणपतदास दर्ज है। तथा प्रार्थी के राशनकार्ड में भी प्रार्थी का नाम गणपतदास दर्ज है। मतदाता पहचान पत्र, तथा ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम गणपतदास दर्ज है। तथा घर का नाम प्रेमदास है। इस प्रकार प्रार्थी गणपतदास व प्रेमदास दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। गणतपदास व प्रेमदास दोनों नाम प्रार्थी के ही नाम है तथा दोनों नाम गणपतदास व प्रेमदास नाम से एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी ग्राम बाला पटवार हल्का बाला तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नंबर 1039 / 2, खसरा नंबर 1056 / 5, खसरा नंबर 1067, खसरा नंबर 494 / 3, खसरा नंबर 861 आई हुयी है। जिसकें प्रार्थी का 1 / 4 हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम मतवालों की ढाणी, पटवार हल्का बाला तहसील बिलाडा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 127 / 7 आई हुयी है। वाद कें पद सं. 2 व 3 में वर्णित खसरों की भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी का नाम प्रेमदास पुत्र खाकीदास लिखा हुआ है जिसके स्थान पर प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थी अपना नाम प्रेमदास के स्थान पर गणपतदास राजस्व रेकर्ड दर्ज करवाना चाहता है। उक्त खसरान की भूमि की जमाबंदी की नकल भी इस वाद के साथ संलग्न है। प्रार्थी का घरेलु नाम प्रेमदास राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने का पता प्रार्थी को जमाबंदी की नकले लेने पर पहली बार चला है। प्रार्थी का आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा ग्राम पंचायत का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रमाण पत्र उपरोक्त तमाम दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम गणपतदास पुत्र खाखीदास जाति साद निवासी बाला दर्ज है। प्रार्थी ग्राम बाला व मतवालों की ढाणी में उपरवर्णित खसरान की संयुक्त खातेदारी की भूमि में अपना नाम गणपतदास पुत्र खाखीदास वास्तविक नाम दर्ज करवाना चाहता है। चूकि प्रार्थी की जमीन संयुक्त खातेदारी की भूमि में गणपतदास पुत्र खाखीदास के स्थान पर प्रार्थी का नाम प्रेमदास पुत्र खाकीदास गलत दर्ज होने का पता अभी हाल ही लोन के लिये जमाबंदी नकले लेने पर पहली बार चला। जिसके अभाव में प्रार्थी को सरकारी योजनाओं से भी वंचित होना पड रहा है। तथा प्रार्थी संबंधित बैंक से लोन भी नहीं ले सकता है। जिससे प्रार्थी को परेशानिया हो रही है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 व 3 में वर्णित ग्राम बाला के खसरा नंबर 1039/2, 1065/5, 1067, 494/3, 861 व ग्राम मतवालों की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 127/7 की भूमि में 1/4 हिस्से की भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अप्रार्थी द्वारा त्रुटिवश प्रार्थी प्रेमदास पुत्र खाकीदास गलत दर्ज किये गये त्रुटि को दुरस्त कर गणपतदास पुत्र खाखीदास जाति साद निवासी बाला तहसील बिलाडा के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश अप्रार्थी को जारी फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। जिन्होने अपना जवाब पेश किया, जिसे शामिल मिसल कराया गया जो जवाब इस आधार का पेश किया कि प्रार्थी के नाम की संयुक्त खातेदारी खेत नं 1039/2 रकबा 2.1681 हैक्टयर, ख.नं. 1056/5 रकबा 1.0517 हैक्टयर, ख.नं. 1067 रकबा 1.4805 हैक्टयर, ख.नं. 494/3 रकबा 0. 3721 हैक्टयर, ख.नं. 861 रकबा 0.6796 हैक्टयर आई हुई है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हि. है। व ख.नं. 127/7 रकबा 2.2706 हैक्टयर जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थी का प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में नाम जरिये विरासत नामा. 213 के खाखीराम पुत्र बीजाराम के फौत होने पर अपने भाईयों के साथ प्रेमदास पुत्र खाकीदास दर्ज हुआ, जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में अपने निजी/सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचानपत्र इत्यादि कर अपना नाम गणपतदास होना बताया। पद सं. 6 से 8 का जवाब वादी स्वयं साबित करें। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत बाला के लेटर पेड पर सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत कर गणपतदास/प्रेमदास के नाम से एक ही व्यक्ति होना बताया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम विरासत नामा. के जरिये दर्ज हुआ है, जिसकी दुरूस्ती के लिए अन्तर्गत धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत अनुतोष

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्राप्त किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 के तहत दुरूस्ती किये जाने में भूमिधारी की सहमति नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पैनकार्ड, पहचान पत्र आदि का अध्ययन किया। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी नाम गणपतदास पुत्र खाकीदास दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमदास पुत्र खाकीदास के नाम से दर्ज कर दिया गया जो एक लिपिकीय त्रुटी मालूम पड़ती है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। किन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में विरासत नामा. के जरिये दर्ज हुआ है जिसकी शुद्धि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत की जाती है धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नहीं। अप्रार्थी तहसीलदार बिलाडा द्वारा भी उपरोक्त नाम शुद्धि के लिए सहमति प्रदान नहीं की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम विधि वर्जित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा